



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 454]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 13, 2010/श्रावण 22, 1932

No. 454]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 13, 2010/SHRAVANA 22, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2010

सा.का.नि. 678(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण और दीव तथा दादरा और नागर हवेली (सिविल सेवा) नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण और दीव तथा दादरा और नागर हवेली (सिविल सेवा) संशोधन नियम, 2010" है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण और दीव तथा दादरा और नागर हवेली (सिविल सेवा) नियम, 2003 में, अनुसूची 2 में, मद (क) में उप-मद (v) का लोप कर दिया।

[फा. सं. 14012/03/2009-यू टी एस-II]

बी. भामथी, अपर सचिव

पाद टिप्पणी : मूल नियम, दिनांक 6 अगस्त, 2003 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 634 (अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् इन्हें दिनांक 1 अक्टूबर, 2009 की संख्या सा.का.नि. 717 (अ) द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2010

G.S.R. 678(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the National Capital Territory of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli (Civil Service) Rules, 2003, namely :—

1. (1) These rules may be called the National Capital Territory of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli (Civil Service) Amendment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Capital Territory of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli (Civil Service) Rules, 2003, in Schedule II, in item (a), sub-item (v) shall be omitted.

[F.No. 14012/03/2009-UTS-II]

B. BHAMATHI, Addl. Secy.

Foot Note : The principal rules were published vide notification number G.S.R. 634(E), dated the 6th August, 2003 and was subsequently amended vide number G.S.R. 717(E), dated 1st October, 2009.